समस्त पत्र–व्यवहार कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, को सम्बोधित करें अन्य किसी अधिकारी के नाम से नहीं।

पत्र संख्या :........................../सम्ब./2019

दिनांक :..............................

प्रेषक,

कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ–226007

रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट/व्यक्तिगत

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य
समस्त सहयुक्त महाविद्यालय,
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

विषयः–लखनऊ विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के सेवायोजना विभाग के पोर्टल पर पंजीयन की अनिवार्यता के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक सहायक निदेशक (सेवा0), क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के पत्रांक संख्या : 1708/2019 दिनांक 26 सितम्बर, 2019 जिसके माध्यम से श्रम अनुभाग–5, के शासनादेश संख्या–320/छत्तीस–5–2019–7(88)/2017/टी0सी0–2 दिनांक 26.06.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उ0प्र0 के अन्तर्गत समस्त नौकरियों हेतु सेवायोजन विभाग के पोर्टल **sewayojan.up.nic.in** पर बेरोजगार अभ्यर्थियों के पंजीकरण की अनिवार्यता का प्रविधान किया गया है।

अतः सहायक निदेशक (सेवा0), क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ मण्डल के पत्र दिनांक 26.09.2019 की छायाप्रति संलग्न करते हुए आपसे अपेक्षा की जाती है कि महाविद्यालय में अध्ययनरत अन्तिम वर्ष के समस्त छात्र/छात्राओं का सेवायोजन पोर्टल पर अनिवार्य पंजीयन कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(वी0पी0 कौशल)
कार्यवाहक कुलसचिव

संख्या : Af/26319–20 दिनांक : 19.11.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. इंचार्ज, वेबसाइट/कम्प्यूटर सेन्टर, ल0वि0वि0 को इस आशय से प्रेषित कि समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करने एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. गार्ड फाईल।

भवदीय,

(वी0पी0 कौशल)
कार्यवाहक कुलसचिव

DR-1152
10/10/19

कुल सचिव का कार्यालय
डाक प्राप्ति
संख्या 10067
तिथि 09/10/19
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ-226007

GA-1224
10/10/19

प्रेषक,

सहायक निदेशक (सेवा0),
क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ,
उ0प्र0।

सेवा में,

माननीय कुलपति जी,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ, उ0प्र0।

27 SEP 2019
2886

पत्रांकः 1700 /2019

दिनांक 26 सितम्बर,2019

विषयः—लखनऊ विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर पंजीयन की अनिवार्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्रम अनुभाग –5 के शासनादेश संख्या 320/छत्तीस–5–2019–7(88)/2017/टी0सी0–2 दिनांक 26.06.2019 (संलग्नक–1) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें उ0प्र0 के अन्तर्गत समस्त सेवायोजन विभाग के पोर्टल <u>sewayojan.up.nic.in</u> पर बेरोजगार अभ्यार्थियों का पंजीकरण की अनिवार्यता का प्राविधान किया गया है।

उक्त शासनादेश के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी लखनऊ महोदय द्वारा पत्रांक 1164–65 ई0एम0आई0/पंजीकरण/2019 दिनांक 21.08.2019 (संलग्नक–2) के द्वारा शासनादेश के परिचालन एवं अनुपालन की अपेक्षा की गई है।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि विश्वविद्यालय के समस्त विभागों तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत अन्तिम वर्ष के समस्त छात्र/छात्राओं का सेवायोजन पोर्टल <u>sewayojan.up.nic.in</u> पर अनिवार्य पंजीयन कराने सम्बन्धी दिशा निर्देश निर्गत करने की कृपा करें जिससे अधिकाधिक संख्या में अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया जा सकें।

DR GA

कृपया 03 कार्य दिवसों में नियमानुसार परीक्षण कर आख्या सहित प्रस्तुत करें।

Registrar
9.10.19

कुलसचिव
तिथि: 9/10

भवदीय,
26/9/19
सहायक निदेशक (सेवा0)
लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

प्रभारी (स0 प्रख्यापन)

10.10.2019

all college को पत्र
website पर